प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/रा0 कार्य0/संवि0 पुनर्अनुबन्ध/7/2012–13/284-72 दिनांक: 25/5/.2012

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम में राज्य/जनपद स्तर पर कार्यरत् संविदा कर्मियों के वर्ष 2012–13 के लिए संविदा पर पुनर्अनुबन्ध के सम्बंध में।

महोदया/महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0, लखनऊ को उपर्युक्त विषयक प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/रा0 कार्यक्रम/रा0 कार्य यो0 12–13/16/2012/121 दिनांक 26.04.2012 में अनुरोध किया गया है कि कृपया नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य/जनपद स्तर पर कार्यरत् संविदा कर्मियों के वर्ष 2012–13 के लिए संविदा नवीनीकरण तथा संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य कार्य योजना वर्ष 2012–13 में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित पदों की संख्या तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुरूप अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र अवगत भी कराने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त पत्र के क्रम में नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट वर्ष 2011–12 में कार्यरत् संविदा कर्मियों ने पत्र दिनांक 23.05.2012 द्वारा यह अवगत कराया है कि इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलान्स प्रोजेक्ट में कार्यरत् संविदा कर्मियों के संविदा के पुनर्अनुबन्ध की कार्यवाही लम्बित है।

3. उपर्युक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि कृपया नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों में राज्य कार्य योजना वर्ष 2012–13 में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित पदों की संख्या तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुरूप, वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत् कर्मियों का नियंत्रक अधिकारियों द्वारा संलग्न मूल्यांकन प्रपत्र के अनुसार बिन्दुवार मूल्यांकन कराकर जिन संविदा कर्मियों का कार्य संतोषजनक हो उनका वर्ष 2012–13 के लिए पुनर्अनुबन्ध इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से दिनांक 31.03.2013 तक जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कर दिया जाए।

4. पुनर्अनुबन्धित किए जाने वाले संविदा कर्मियों का नियंत्रक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मुल्यांकन प्रपत्र तथा अनुबन्ध प्रपत्र उनके व्यक्तिगत् पत्रावली में रखा जाए।

5. कृपया उपर्युक्त का अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए। पुनर्अनुबन्धित किए गए संविदा कर्मियों का

कार्यक्रमवार कर्मी का नाम, पदनाम, कार्यस्थल, मूल्यांकन की स्थिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन की स्थिति की सारिणी रूप में सूचना संविदा के पुर्नअनुबन्ध के एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए उक्त की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर प्रेषित करना भी सुनिश्चित किया जाए।

6. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

25/05/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/रा0 कार्य0/संवि0 पुनर्अनुबन्ध/7/2012–13/ 284-72-5 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों में राज्य स्तर पर वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत् संविदा कर्मियों का उपर्युक्तानुसार मूल्यांकन कराकर वर्ष 2012–13 के लिए संविदा का पुनर्अनुबन्ध करते हुए उक्त का अनुमोदन राज्य कार्यकारी समिति द्वारा कराए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रेषित ई–मेल के माध्यम से प्राप्त सूचना की समीक्षा करते हुए समेकित आख्या दिनांक 15.06.2012 तक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

25/05/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

संविदा कर्मी की समीक्षा प्रगति (वर्ष 2011–12) रिपोर्ट प्रपत्र

1. नाम ....
2. रिपोर्ट अवधि: कब से.......................................कब तक..
3. संविदा कर्मी का पदनाम...तैनाती का स्थान.................................
4. अधिकारी का नाम /पदनाम जिसके अधीन कार्यरत है...
5. संविदा अवधि के दौरान सौंपे गये कार्य एवं दायित्व...
....
....

मूल्यांकन के बिन्दु	अंक मूल्यांकन अधिकतम 10 अंक तक
1. सामान्य बुद्धिमत्ता (General Intelligence)	
2. दिये गये कार्यो को समझने की क्षमता	
3. समय से कार्य निष्पादित करने की दक्षता	
4. प्रशासनिक/तकनीकी योग्यता	
5. विशिष्ट कौशल	
6. फील्ड कार्य हेतु दक्षता (Fitness for field work)	
7. सहकर्मियों एवं जनता से व्यवहार	
8. अन्य उत्कृष्ट कार्य (यदि कोई हो)	
9. सामान्य स्वास्थ्य	
10. सम्बन्धित रिपोर्ट समय से प्रेषित करना	
कुल योग	
प्रतिशत	

6. मूल्यांकन a. असंतोषजनक b. उत्तम c. अतिउत्तम
7. आगामी वर्ष 2012–13 हेतु संविदा विस्तार प्रस्तावित हाँ/नहीं...
8. यदि नहीं तो विस्तृत कारण...
....

दिनांक........................
स्थान.........................

हस्ताक्षर नाम एवं पद नाम रिपोर्टिंग अधिकारी

स्वीकृति अधिकारी का निर्णय ....

हस्ताक्षर, नाम एवं पद नाम समीक्षा/स्वीकृति अधिकारी

टिप्पणी:– तालिका में 1से 10 तक के बिन्दुओं में संविदा कर्मी का मूल्यांकन। प्रत्येक बिन्दु पर 10 अंक के आधार पर आंकलन किया जाय। कम संख्या 1से 10 पर दिये गये अंक के योग के 80 प्रतिशत वाले कर्मी को अति उत्तम, 75 से 80 अंक वाले कर्मी को उत्तम दिया जाय। केवल उत्तम एवं अति उत्तम संविदा कर्मी का पुनर्अनुबंध किया जाय।